

2.11.2021

पुकाशचन्द

पत्रावली आज प्रशासन गांव के सेंज अभियान  
2021 केस पेचापन मुख्यालय सायपुर पर प्रेश  
अपीलान्ट उपस्थित। हेस्पेडेन्ट उपस्थित नहीं।  
वहस अपील अपीलान्ट सुनी गई। पत्रावली  
का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा यह  
अपील इस आशय की प्रेश की है कि निम्न  
दिनांक 24.5.2000 वाकल नम्बर 258 ग्राम  
पेटोली तहसील में विधि विरुद्ध है। अर्थात्  
ये है और अपील नामान्तरण दर्ज करते  
समय पटवारी दल्का द्वारा अपीलान्ट नं. 1 का  
नाम पुकाशचन्द के स्थान पर और पुकाश  
खं अपीलान्ट नं. 2 का नाम संजीव कुमार  
पटवारी के स्थान पर सेंजप गलत नोट पर



दर्ज किया जाय किसे किया गया है, जबकि अपीलान्त नं 1 का नाम प्रकाश चन्द है और अपीलान्त नं 2 का नाम संजीव कुमार चतुर्वेदी है। जो सही है वही नाम अपीलान्तस के समस्त कागजात मतदाता अधिचान पत्र आधार कार्ड, परिवार रजिस्ट्रार कार्ड, बैंक पासबुक जन आधार कार्ड व विद्यालय रिकार्ड में दर्ज है। अपीलान्तस अपना नाम नामान्तरण में संशोधन कराने के अधिकाठी है। रेस्पोडेंट 1 ता० पने दिनांक 23/9/21 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर अपीलान्तस का नाम नामान्तरण में संशोधन किसे जाने का निवेदन किया है। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त रिकार्ड व दस्तावेजों से अपीलान्त नं 1 का नाम प्रकाश चन्द व अपीलान्त नं 2 का नाम संजीव कुमार चतुर्वेदी ही होना प्रकट है। अपीलान्तस नामान्तरण और अपील में अपना नाम संशोधित कराने के हकदार है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। अपीलान्तस नामा० नं 258 दिनांक 24-5-2000 ग्राम चैरोली तह० करौली में अपना नाम अपीलान्त नं 1 ओ प्रकाश के स्थान पर प्रकाश चन्द व अपीलान्त नं 2 संजय के स्थान पर संजीव कुमार चतुर्वेदी संशोधित कराने के अधिकाठी है। तहसीलदार करौली नामान्तरण संख्या 258 दिनांक 24-5-2000 ग्राम चैरोली तहसील करौली नामान्तरण में अपीलान्तस के नाम संशोधित कर नामान्तरण में दर्ज करे निर्णय की प्रस्तावित प्रति फालगुन तहसीलदार करौली को भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 9.11.2021 को सुनाया गया। पत्रावली वाह तकमिल कारिवाल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
करौली